न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-1, कुशीनगर स्थान पडरौना।

सत्र परीक्षण संख्या-80/2022

सरकार-बनाम-लक्ष्मण

<u>आरोप</u>

मैं सुनील कुमार यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-1, कुशीनगर स्थान पडरौना,

आप अभियुक्तः- लक्ष्मण को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ-

1- यह कि दिनांक 13.09.2019 को समय 17.40 बजे, वहद ग्राम-डुम्मरभार, थाना-कसया, जिला-कुशीनगर में पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ा गया तो आपके कब्जे से दो जरीकेन में 30 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब व 20 टैबलेट (एस्प्रेक्स 0.5 mg) नशे की गोली बरामद हुआ, जिसके सम्बन्ध में लाईसेंस मांगे जाने पर आप कोई लाईसेन्स/परमिट नहीं दिखा सके। इस प्रकार आपने आबकारी अधिनियम की धारा 60(1) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2- यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर पुलिस पार्टी के द्वारा आपके कब्जे से उक्त अपमिश्रित नाजायज कच्ची शराब व नशे की गोली बरामद की गयी, जिसे आपके द्वारा विक्रय हेतु बनाया गया था, जो मानवजीवन के लिये संकटापन्न थी। इस प्रकार आपने भा०द०सं० 1860 की धारा 272 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3- यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर पुलिस पार्टी के द्वारा आपके कब्जे से उक्त अपमिश्रित नाजायज कच्ची शराब व नशे की गोली बरामद की गयी, जिसे आपके द्वारा बनाकर विक्रय किया जा रहा था, जो मानवजीवन के लिये संकटापन्न थी। इस प्रकार आपने भा०द०सं० की धारा 273 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपों के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः 01.05.2023

(सुनील कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-1,
कुशीनगर स्थान पडरौना।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण चाहा।

दिनांकः 01.05.2023

(सुनील कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-1,
कुशीनगर स्थान पडरौना।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-1, कुशीनगर स्थान पडरौना।

सत्र परीक्षण संख्या-80/2022

सरकार-बनाम-लक्ष्मण

<u>01.05.2023</u>

पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त लक्ष्मण मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये। राज्य की तरफ से विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) भी न्यायालय में उपस्थित हैं।

आरोप विरचित किये जाने के प्रश्न पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त लक्ष्मण के विरूद्ध धारा 60(1) आबकारी अधिनियम तथा धारा 272 व 273 भा०द०सं० 1860 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर विद्यमान है। अतः अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध उक्त वर्णित धाराओं में आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया एवं समझाया गया, अभियुक्त ने अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण चाहा।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 30.05.2023 को पेश हो। गवाहान तलब हों।

(सुनील कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-1,
कुशीनगर स्थान पडरौना।

Digitally signed by Sunil Kumar Yadav
Date: 2023.05.01 16:58:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court